


26.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अप्लोकेन करने पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुल्य न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार चोहान)
R.A.S.